Form No.3

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भुसावर

किशोर कुमार वगै. बनाम भयसिंह वगै.

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र धारा 212 RTA नं. 03 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 20

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.01.25	वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA के तहत पेश किया गया। हमने वकील प्रार्थी को सुना गया व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अम्र से जारी की जाती है कि विवादित आ.ख.नं. 86 रकबा 0.15 हैक्टे. वाके ग्राम महमदपुर तह. भुसावर जिला भरतपुर में अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के हिस्से में बाधा व रूकावट पैदा न करें तथा आगामी तारीख पेशी 30.01.2025 तक रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। यदि इस आज्ञा बाबत् कोई उज्र हो तो न्यायालय हाजा में नियत दिनांक को उपस्थित होकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. होवें। अप्रार्थीगण की तलबी प्रार्थी द्वारा तलवाना पेश करने पर जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी होवें। नियत दिनांक से पूर्व आदेशानुसार तलवी हेतु तलवाना पेश नही पेश करने पर जारी शुदा स्थगन स्वतः ही खारिज समझा जावेगा। कैफियत पालनार्थ तहसीलदार, भुसावर व उपंजीयक भुसावर को भेजी जावें। पत्रावली दिनांक 30.01.2025 को पेश हो। [signature] (राधेश्याम मीणा) उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)	
30.01.25	वकील वादी प्रार्थी कानूलाल फरीकेन [illegible] एड. द्वारा समय [illegible] गया है उपस्थित/अनुपस्थित [illegible] अधिकारी [illegible] अन्य समय में [illegible] पर है। अतः पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 17-2-25 को पेश हो। [signature]	
17.02.25	आज यह पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप। उन्होंने प्रा० पत्र को Not Press किया गया है। --- [signature]	

वे प्रा० पत्र को और आगे नहीं
चलाना चाहते हैं

अतः प्रा० पत्र प्रार्थी Not Press
में इसी स्तर पर खारिज किया जाता
है तथा न्यायालय हाजा द्वारा जारी
सम्मन दिनांक 08-01-25 निरस्त
किया जाता है

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल
दफ्तर हो तथा सम्मन मूल वापस हो

राधेश्याम मीणा
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

Not press